न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी, श्री दूदाराम हुड्डा आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या – 17/2022

जीसीएमएस सं. – **2022/55**

–:: वादी ::–	**बनाम**	**–:: प्रतिवादीगण ::–**
गोबरराम पुत्र मदनाराम जाति माली निवासी ग्राम मालावास तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।		**सरकार जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।**

राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. पृथ्वीराज चौहान, वादी की ओर से
2. तहसीलदार पीपाड शहर प्रतिवादी स्वंय।

निर्णय दिनांक :– 06/08/2024

वकील मय वादी ने एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आश्य का पेश किया कि ग्राम मालावास पटवार क्षैत्र मालावास तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर (राज.) की राजस्व सीमा में वादी की खातेदारीशुदा, कब्जाशुदा कृषि भूमि खसरा नबंर 130/4 क्षैत्रफल 0.0809 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकिन बाड़ा भूमि आई हुई है जो खाता संख्या नया 97 व पूराना 384 पर इन्द्राजशुदा है। उक्त खसरें की कृषि भूमि को आगे वाद पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा सबूत में नकल जमाबंदी संम्वत 2075 से 2078 की प्रमाणित प्रति मय नक्शा संलग्नं पेश है। वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम गोबरराम पुत्र सोहनलाल अंकित है जो कि त्रूर्टिपूर्ण नाम है जबकि वादी के पिता सही व वास्तविक नाम मदनाराम है। वादी के आधार कार्ड, पेनकार्ड, पहचान पत्र, परिवारकार्ड, बैंक डायरी, नरेगा कार्ड, विद्युत बिलों में वादी के पिता का सही नाम गोबरराम पुत्र मदनाराम अंकित है इसके अलावा वादी क़े नाम से आई अन्य कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में भी वादी का नाम गोबरराम पुत्र मदनाराम अंकित है। वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में वादी के पिता का नाम भुलवश सेवन से घरेलु बोलचाल का नाम सोहनलाल अंकित हो गया जो कि मानवीय भूल है जिसको दुरूस्त करवानें का वादी अधिकारी है। वादी द्वारा दिनांक 11.03.2022 को तहसीलदार पीपाड शहर के समक्ष नाम शुद्दि के लिए आवेदन किया गया जिस पर वादी को सक्षम न्यांयालय में वाद प्रस्तुत करने की सलाह देते हुए आवेदन को लौटा दिया गया जिस पर श्रीमान न्यायालय के समक्ष वाद पेश करने के अलावा वादी के पास विकल्प नही है इसलिए वादी का उक्त वाद वास्तें सही नाम गोबरराम पुत्र सोहनलाल के स्थान पर गोबरराम पुत्र मदनाराम किये जानें की घोषणा हेतु प्रस्तुत है। बिनाय दावा बहक वादी बरखिलाफ प्रतिवादी दिनांक 11.03.2022 को उत्पन्न हुआ जो लगातार उत्पन्न हो रहा है। इंस्तदुआ वादी निम्न प्रकार से है :– वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्व इस आश्य की घोषणा की डिकी सादिर फरमायी जावे कि ग्राम मालावास पटवार क्षैत्र मालावास तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर (राज.) की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा नबंर 130/4 क्षैत्रफल 0.0809 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकिन बाड़ा भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम गोबरराम पुत्र सोहनलाल के स्थानं पर **गोबरराम पुत्र मदनाराम** घोषित किया जावे। अन्य अनुतोष जो हित वादी हो वादी के पक्ष में अता फरमावें।

6/8/24

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड शहर (जोधपुर)

वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को नोटिस जारी किया गया। प्रतिवादी भूमिधारी तहसीलदार पीपाड शहर ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि वादी अपने पिता के राजस्व रेकर्ड में दस्तावेज में सोहनलाल होने की जमाबंदी प्रस्तुत की हैं एवं वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं अन्य भूमियां के खाता सं. 234, 378, 182, 183, 307 की जमाबंदीयों के आधार पर वादी के पिता का नाम मदनाराम अंकित हैं। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अभिलेख अनुसार वादग्रस्त आराजी तथा तहसीलदार पीपाड़ शहर के जवाब का अवलोकन करने पर प्रतिवादी को भी नाम दुरूस्त करवाने में किसी प्रकार की कोई आपति नही हैं। जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अभिलेख अनुसार तथा तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार गोबरराम पुत्र सोहनलाल के स्थान पर गोबरराम पुत्र मदनाराम की अनुशंषा की जाती हैं ।

हमने वकील वादी की बहस सुनी तथा पत्रावली का ध्यानपुर्वक अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का ध्यानपुर्वक अवलोकन किया एंव तहसीलदार पीपाड शहर की तथ्यात्मक रिपोर्ट/जवाब का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि वादी का सही नाम गोबरराम पुत्र मदनाराम है इसलिए वादी का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पीपाड शहर को आदेश दिया जाता है कि ग्राम मालावास पटवार क्षैत्र मालावास तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर (राज.) की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खसरा नबंर 130/4 क्षैत्रफल 0.0809 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकिन बाड़ा भूमि का राजस्व रेकर्ड दुरूस्त फरमाया जाकर में वादी का नाम गोबरराम पुत्र सोहनलाल के स्थान पर गोबरराम पुत्र मदनाराम जाति माली निवासी ग्राम मालवास तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद किया जावें।

(दूदाराम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

निर्णय आज दिनांक 06.08.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ए इजलास सुनाया गया।

(दूदाराम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर